

प्रेषक,

एच०पी० सिंह

विशेष सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभियान,

उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

**विषय** वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों की मलिन वस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत जनपद-लखीमपुर खीरी की 07 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

लखनऊ : दिनांक : २३ दिसम्बर, 2016

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1557/48/10/छ./विविध/खीरी/2012-13, दिनांक 22 जुलाई, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन वस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 से जनपद-लखीमपुर खीरी की न०पा००परि० लखीमपुर खीरी की विभिन्न मलिन वस्तियों में इंटरलाकिंग रोड निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 07 परियोजनाओं हेतु कुल रु० 667.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रु० 333.735 लाख (रूपये तीन करोड़ तेंतीस लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूड़ा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ती जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूड़ा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशेषियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि ये उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

क्रमशः.....2

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि । मुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणारों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-ए-२-२३/दस-२०११-१७(४)/७५, दिनांक २५.०१.२०११ में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी ३१ मार्च, २०१७ तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के अनुदान संख्या-८३ के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"२२१७-शहरी विकास-आयोजनागत-०४-गंदी बस्तियों का विकास-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-०४-शहरी क्षेत्रों की मालिन बस्तियों में सी०सी०रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-००-३५-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः.....3

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,  
*hps*  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या-०५३/२०१६/१६४४(१)/६९-१-२०१६, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०.२० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखीमपुर खीरी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-८) अनुभाग, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, ३०प्र० शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०. लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
*hps*  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-२०१६/2016/1644/69-1-16-30(मोब0-83)/2016 दिनांक २२ दिसम्बर, 2016 का  
संलग्नक।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	लखीमपुर खीरी	न००३०००	मो० बरखेरवा पटेल नगर में सरोज वर्मा के मकान से राम नरेश के मकान तक एवं डा० अनिल वर्मा के मकान से महिन्द्रा ट्रैक्टर वर्कशाप के आगे तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	67.29	33.645
2.	तदैव	तदैव	मो० बरखेरवा पटेल नगर में विजय के मकान से नन्ही देवी के मकान होते हुए राम अवतार वाली रोड तक, राम किशोर वाली रोड, सुशील के मकान से लोकनाथ के मकान तक, ललित कुमार के मकान से शनिधाम मन्दिर तक, जोशी के मकान से छुटकन्न के मकान तक व सुवेदार वाली रोड पर इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	65.99	32.995
3.	तदैव	तदैव	मो० बरखेरवा पटेल नगर में मुरारी के मकान से नत्थू के मकान तक, नत्थू के मकान से राकेश व कीर्ति के मकान होते हुए दिनेश के मकान के आगे तक व अशोक के मकान से ओम प्रकाश शर्मा के मकान होते हुए भिशा शाहपुर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	35.64	17.82
4.	तदैव	तदैव	मो० कमलापुर में बालगोविन्द के मकान से मन्दिर तक, नरेश के मकान से सन्तू डा० एस० राना के मकान तक तथा हरिओम के मकान से लवकुश के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	47.53	23.765
5.	तदैव	तदैव	मो० कमलापुर में बब्लू के मकान से अम्बेडकर स्कूल होते हुये नहर रोड तक तथा सुमन जी, रामचन्द्र माझा के मकान से जुगुल किशोर के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	164.29	82.145
6.	तदैव	तदैव	मो० कमलापुर में गोला रोड से बाबू राम के मकान तक, गोला रोड से राम विलाश के मकान तक, राम विलाश के मकान से प्रेम चन्द्र के मकान तक, ब्लाक ट्रान्सफार्मर से सदर ब्लाक	204.29	102.145

		के मेन गेट तक, प्रेम चन्द्र के मकान से छोटे लाल के मकान तक, जयगुरुदेव के आश्रम से लल्कू राम गौतम के मकान तक, सुरेश के मकान से अनूप के मकान तक, विश्राम लाल के मकान से पंचम लाल गौतम के मकान तक, कुँआ के पास से धनश्याम गौतम के मकान तक, श्री कृष्ण के मकान से बाबू राम गौतम के मकान तक इण्टरलाइंग व नाली का निर्माण कार्य।		
7.		मो० कमलापुर में गोपाल के मकान से चन्द्र प्रकाश के मकान तक, धैद के मकान से सुमन के मकान तक, सुरेन्द्र के मकान से दकील के मकान तक, अनूप के मकान वाली रोड, ओम प्रकाश के मकान वाली रोड एवं राधेश्याम के मकान वाली रोड तक इण्टरलाइंग व नाली का निर्माण कार्य।	82.44	41.22
योग			667.47	333.735

(रुपये तीन करोड़ तीन सौ लाख तिहाई हजार पाँच सौ मात्र)।

*l psh*  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।